

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुस्ती/सा0से0शि0/2025/1049

दिनांक :- 8/10/2025

--आदेश--

प्रार्थी विष्णु कुमार आदि के दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत चन्दुरवाली की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में 8 एफटीपीए के खाता सं0 64/69 तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	चक 8 एफटीपीए	64/69	रोविन्द पुत्र विष्णु विष्णु पुत्र मनीराम साहिल पुत्र विष्णु	रोविन्द कुमार पुत्र विष्णु कुमार विष्णु कुमार पुत्र मनीराम साहिल कुमार धारणीया पुत्र विष्णु कुमार

Real
[Signature]

[Signature]
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 8/10/2025

क्रमांक:- सम/2025/1050, 1052

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश , न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी विष्णु कुमार आदि को सूचनार्थ।
3. पत्रावली में संलग्न।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ